संख्या-32/1382/58-1-2023-54-2002(099)/2/2023

प्रेषक,

महावीर प्रसाद गौतम,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

बाल विकास एवं पुष्टाहार अनुभाग **लखनऊ : दिनांक 07 जुलाई, 2023**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-01-केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें-0101-स्वच्छता एक्शन प्लान (के0-60/रा0-40) एवं 89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश-8901-स्वच्छता एक्शन प्लान के मानक मद-25-लघु निर्माण कार्य में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की व्यवस्था।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-233/बा0वि0परि0/आ0बा0के0नि0/ 2023-24, दिनांक 01 जून, 2023 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-49 के लेखाशीर्षक "4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-01-केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं-0101-स्वच्छता एक्शन प्लान (के0-60/रा0-40) के मानक मद-25 लघु निर्माण कार्य में रु0 672.18 लाख एवं 89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश-8901- स्वच्छता एक्शन प्लान के मानक मद-25 लघु निर्माण कार्य में रू0 448.12 लाख अर्थात् कुल रू0 1120.30 लाख (रुपये ग्यारह करोड़ बीस लाख तीस हजार मात्र) की बजट व्यवस्था पुनर्निविनियोग के माध्यम से कराते हुए वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं :-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत धनराशि को व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

2. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

3. अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकता एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिस मद हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है। उक्त धनराशि को किसी अन्य योजना/कार्यक्रम/मद/इकाई पर व्यय नहीं किया जायेगा।

4. स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्गत गाइड लाईन/ दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5. वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जा रहा है। बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0, लखनऊ का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6. उक्त धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेंट) मात्र ही किसी प्रकार का व्यय करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। अतः बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी स्थायी आदेशों के अन्तर्गत जिन मदों पर व्यय करने के लिए सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, व्यय करने से पूर्व तत्सम्बन्धी तकनीकी/प्रशासकीय स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा इसे विहित प्रक्रिया एवं नियमों के अनुसार ही व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

7. निर्माण कार्यों के संबंध में वित्तीय एवं भौतिक प्रगति तथा निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए निर्माण कार्य समयान्तर्गत पूर्ण करा लिया जाय। निर्माण कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्परीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त किये जायेंगे। टाईम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन के संबंध में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर 212(7) में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8. स्वीकृत धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बन्ध में राज्य सरकार/वित्त विभाग द्वारा निर्धारित मानक/समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि आहरित की जायेगी।

9. निर्माण कार्य के प्रगति की सूचना शासन को निदेशक, आईसीडीएस की संस्तुति सहित मासिक रूप में उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यदायी संस्था द्वारा अनुमोदित आगणन लागत के अधीन रहते हुए ही कार्य किया जायेगा।

10. प्रश्नगत योजना हेतु भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश के पुनर्वैधीकरण के सम्बन्ध में योजना की गाइड लाइन एवं नियमों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

11. आहरित धनराशि की उपयोगिता की स्थिति से ससमय अवगत कराया जाय।

12. धनराशि के आहरण एवं व्यय के पूर्व प्रश्नगत योजनान्तर्गत उपलब्ध केन्द्रांश की स्थिति से स्व स्तर पर संतुष्ट हो लेंगे।

13. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0 द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जिस मद में धनराशि संक्रमित की जा रही है, उस मद में चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

14. धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा।

15. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0 समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। आंकड़ों की शुद्धता का दायित्व निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार का होगा।

16. व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

17. स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष आवंटन/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17.03.2023 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

18. उक्त स्वीकृति निदेशक, आईसीडीएस द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर अपरिहार्यता के दृष्टिगत निर्गत की जा रही है, यदि प्रकरण के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है, तो इसका उत्तरदायित्व निदेशक, आईसीडीएस का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (*1*) रुपये 6,72,18,000 (रुपये छः करोड़ बहत्तर लाख अट्ठारह हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 049 **लेखा शीर्षक** 4235021020101 स्वच्छता एक्शन प्लान (के.60/रा.40-के+रा.) **मानक मद** 25 लघु निर्माण कार्य (*2*) रुपये 4,48,12,000 (रुपये चार करोड़ अड़तालीस लाख बारह हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या** 049 **लेखा शीर्षक** 4235021028901 स्वच्छता एक्शन प्लान **मानक मद** 25 लघु निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17.03.2023 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किया जा रहा है।

संलग्नक:- बी0एम0-9 (भाग-1)

भवदीय,

(महावीर प्रसाद गौतम)
संयुक्त सचिव।

संख्या-32/2023/1382(1)/58-1-2023, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (जनरल एण्ड सोशल सेक्टर आडिट), उ.प्र., प्रयागराज।
2. सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
5. राज्य योजना आयोग-1/केन्द्रीय सहायता अनुभाग।
6. आहरण वितरण अधिकारी, निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद गौतम)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।